न्यायालय जनपद न्यायाधीश,बहराइच।
प्रकीर्ण सिविल वाद संख्या–85/74/2026
अफरोज––––बनाम––––शमीम आदि।
CNR NO.UPBH01007865–2026

14.07.2026

3–ग अन्तरण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। सुना एवं अभिलेखों का सम्यक् अवलोकन किया।

आवेदक अफरोज की तरफ से 3–ग अन्तरण प्रार्थना–पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने सामान्य वाद सं०–512/2026, अफरोज आदि बनाम शमीम आदि, न्यायालय सिविल जज(अ०ख०), बहराइच में विपक्षीगण के विरुद्ध योजित कर रखा है, जिसमें सभी विपक्षी हाजिर हो चुके हैं तथा आपत्ति भी दाखिल कर चुके हैं। मामला अर्जेन्ट है। ग–6 का निस्तारण शीघ्र किया जाना अपरिहार्य है, जिसके लिए उसने धारा–151 सी०पी०सी० का प्रार्थना–पत्र भी दे रखा है, परन्तु विगत कई तिथियों से विचारण न्यायालय पर अत्यधिक वादों की सुनवाई के चलते उसके उपरोक्त वाद की सुनवाई नहीं कर पा रही हैं। वह नियत तिथियों पर सुबह से सायं तक पुकार सुना करता है, परन्तु नम्बर न आने से निराश होकर घर लौट जाता है। शीघ्र सुनवाई नहीं की गई, तो उसको गम्भीर क्षति कारित होगी, जिस कारण उसका मुकदमा अन्य सक्षम न्यायालय पर स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना की गई कि वाद उपरोक्त को न्यायालय सिविल जज(अ०ख०), बहराइच से किसी सक्षम न्यायालय पर स्थानान्तरित किया जावे। अन्तरण प्रार्थना–पत्र स्वयं के शपथ–पत्र 4–ग से समर्थित है।

विपक्षी सं०–3 श्रीमती कनीज अब्बास की ओर से उक्त अन्तरण प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए आपत्ति दिनांकित–14.07.2026 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि:–

स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र में विचारण न्यायालय पर लगाये गये समस्त आरोप बिल्कुल असत्य व निराधार है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विचारण न्यायालय पर बेजा दबाव बनाने की बदनियती से दिया गया है। स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र से सम्बन्धित मूलवाद संख्या–512/2026, अफरोज आदि बनाम शमीम आदि है। दावा बेदखली व हर्जा विचारण न्यायालय में जब से दाखिल हुआ है, तब से बराबर प्रत्येक पेशी पर विचारण न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाती रही है। आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र स्थानान्तरण में जो तथ्य व कारण दर्शाये गये हैं उनके आधार पर उक्त स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र कानूनन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र मैलाफाइडी है। उक्त स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र के विचाराधीन रहते हुए भी पक्षकारों की सहमति से तथा उन्हें सुनने के पश्चात् दिनांक–11.05.2026 को प्रार्थना–पत्र कमीशन ग–10 व ग–14 का निस्तारण किया गया है। प्रार्थना–पत्र स्थानान्तरण के विपक्षी सं०–1 व 2 आवेदक से साज किये हुए हैं। विपक्षी सं०–3 ही कंटेस्टिंग विपक्षी है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना की गई की उक्त वाद को तलब कर कार्यवाही को देखने व उसका संज्ञान लेने के पश्चात् उचित आदेश पारित किया जाये।

सम्बन्धित न्यायालय की उपलब्ध आख्यानुसार उक्त वाद उक्त न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक द्वारा अन्तरण प्रार्थना–पत्र में उपरोक्त वाद के अर्जेन्ट प्रकृति का होने का कथन करते हुए वाद उपरोक्त को न्यायालय सिविल जज(अ०ख०), बहराइच से किसी

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.07.14 16:19:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने की याचना की गई है। विपक्षी सं०–3 की ओर से उक्त अन्तरण प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए आपत्ति प्रस्तुत की गई है। चूंकि सम्बन्धित न्यायालय की पीठासीन अधिकारी वर्तमान में अवकाश पर हैं। अतः तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 3–ग अन्तरण प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

3–ग अन्तरण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। सामान्य वाद संख्या–512/2026, अफरोज आदि बनाम शमीम आदि, न्यायालय सिविल जज(अ०ख०), बहराइच से न्यायालय अपर सिविल जज(अ०ख०), कोर्ट नं०–1, बहराइच के यहाँ विधि अनुकूल निस्तारण हेतु स्थानान्तरित किया जाता है। आपत्ति दिनांकित–14.07.2026 तद्नुसार निस्तारित की जाती है।

उभय पक्ष न्यायालय अपर सिविल जज(अ०ख०), कोर्ट नं०–1, बहराइच में उक्त वाद की सुनवाई हेतु दिनांक–21.07.2026 को उपस्थित हों।

दिनांकः 14.07.2026

(राजेश कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश, बहराइच।
Id.No.–UP2017